**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 686/2024

IN THE MATTER OF:

Pt. Girdhari Lal …..**APPLICANT**

VERSUS

Govt. of NCT of Delhi & Ors ..…**RESPONDENT(S)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, BAGHPAT ON BEHALF OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 24.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 07.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	COPIES OF LETTER DATED 07.11.2025 AND THE THREE ONLINE PROPOSALS ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF LETTER DATED 07.11.2025 AND THE ONLINE PROPOSAL ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	COPIES OF LETTERS DATED 02.06.2025 AND 01.08.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	COPIES OF THE LETTER DATED 07.11.2025 AND THE TWO ONLINE PROPOSALS ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	COPIES OF PHOTOGRAPHS OF COMPENSATORY AFFORESTATION ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

Date: 10.11.2025

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 686/2024

IN THE MATTER OF:

Pt. Girdhari Lal **.....APPLICANT**

VERSUS

Govt. of NCT of Delhi & Ors **.....RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, BAGHPAT ON BEHALF OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 24.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL.

I, RAJESH KUMAR, aged about 26 years, S/o R.L. MEENA presently posted as DFO, Baghpat, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

435/2025

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 10942/15
District. AGRA
Valid up to
27/01/2030
GOVERNMENT OF INDIA

10-11-2025

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the present matter pending before the Hon'ble Tribunal pertains to the felling of trees in construction of Delhi-Saharanpur-Dehradun Expressway wherein the Hon'ble Tribunal at present is examining the issues pertaining to compensatory afforestation and afforestation on both sides of the Express Way in terms of the recommendations made in Indian Roads Congress Guidelines and also the provisions of the National Highways Act, 1956 and the National Highway Authority of India Act, 1988.

4. That the Hon'ble Tribunal in the previous order dated 24.09.2025 issued directions, which are reproduced hereinbelow for perusal:

"...6. The substantial questions relating to environment arising in the present case include the aspects of compensatory afforestation and also afforestation on both sides of the Express Way in terms of the recommendations made in Indian Roads Congress Guidelines and also the

435/2025

NOTARY Devi Prasad Pandey Advocate R. No. 10942/15 District AGRA Valid upto 27/0?/2030 GOVERNMENT OF INDIA

10-11-202

provisions of the National Highways Act, 1956 and the National Highway Authority of India Act, 1988.

7. Respondent no. 1-MoEF&CC, respondent no. 5-PCCF, Uttar Pradesh and respondent no. 11-PCCF, Uttarakhand are directed to file additional responses with respect to all relevant aspects including the aspects highlighted hereinabove within four weeks.

8. List on 11.11.2025 for final hearing..."

5. That, it is most humbly submitted that, the PCCF, UP vide letter dated 07.11.2025 has directed the deponent to file the present affidavit for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

   A copy of letter dated 07.11.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

REPLY IS AS FOLLOWS

I. FACTUAL SUMMARY

6. That, a total of **130.8825** hectares of forest land was diverted to NHAI. Permission for felling **14,192** trees was granted, of which **12,983** trees have been felled. The division-wise breakup is as follows:

S. No.	Division	Proposal No.	Forest Land Diversion (in ha)	No. of Trees Approved	No. of Trees Felled
1.	Ghaziabad	1. 88/UP/06/11/2012/FC/583, 2. 88/UP/06/11/2012/FC/730, 3. 88/UP/06/219/2022	8.809	555	555

435/2025 NOTARY Devi Prasad Pandey Advocate R. No. 10942/15 District AGRA Valid up to 27/11/2020 GOVERNMENT OF INDIA 10-11-2025

2.	Baghpat	FP/UP/ROAD/18170/2020	4.1671	439	445
3.	Meerut	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4.	Shamli	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5.	Saharanpur and Shiwalik	1. FP/UP/ROAD/177752/2016, 2. FP/UP/ROAD/45282/2020	117.9064	13,198	11,983

7. That, with respect to compensatory afforestation, a total of 3,43,218 saplings are to be planted. Out of these, 3,14,671 saplings have already been planted, and the remaining 28,547 will be planted in the year 2026. The division-wise breakup is as follows:

S. No.	**Division**	**C.A. Site**	**Saplings to be planted (C.A.)**	**Status**	**Timeline**
1.	Ghaziabad	Movikalan Forest Block, Baghpat Forest Division	16,916 saplings	Pending	2026
		Ahmad Nagar Navada, Ghaziabad Forest Division	2464 saplings		
2.	Baghpat	Badkala Range, Shiwalik Forest Division	9167 saplings	Pending	2026
3.	Saharanpur and Shiwalik	Shiwalik Forest Division	2,09,726 saplings	Completed	86.08% Survival Rate
		Social Forestry Division, Jalon	1,04,945 saplings	Completed	

II. DIVISION WISE BREAKUP

8. **Ghaziabad Division**

NOTARY
Devi Prasad Pandey
District AGRA
GOVERNMENT OF INDIA
435/2025
10-11-2025

i. That, vide Letter No. 2050/35-3 dated 07.11.2025, the Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad, has informed that a total of 8.809 hectares of forest land has been diverted to the NHAI for the expressway through three online proposals number 88/UP/06/11/2012/FC/583, 88/UP/06/11/2012/FC/730 and 88/UP/06/219/2022. Under these proposals, permission for felling of 555 trees was granted. As observed and confirmed in the Joint Committee Report dated 24.09.2024 (*kindly refer to judicial pages 07–08*), only 555 trees have been felled by NHAI for completion of the said project.

Copies of letter dated 07.11.2025 and the three online proposals are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-2***.

ii. That, vide the aforementioned letter dated 07.11.2025, it has further been informed that, with respect to compensatory afforestation, a total of 16,916 saplings are to be planted in the Movikalan Forest Block under the Baghpat Forest Division, and 2,464 saplings are to be planted in Ahmad Nagar Navada under the Ghaziabad Forest Division. The said plantation activities are proposed to be undertaken during the year 2026.

iii. That, it is most humbly submitted that in the table at the bottom of paragraph 6 of the affidavit dated 14.12.2024 (*kindly refer to judicial page no. 294*), the status of compensatory afforestation was inadvertently mentioned as "completed." It is clarified that the said status is actually

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 12/94
District. AGRA
Valid up to 27/01/2030
GOVERNMENT OF INDIA

pending, as stated in the preceding sub-paragraph, and the compensatory afforestation shall be undertaken in the year 2026.

9. **Baghpat Division**

i. That, vide Letter No. 750/35-3/N.G.T. dated 07.11.2025, the deponent, has submitted that a total of 4.1671 hectares of forest land has been diverted to the NHAI for the expressway through online proposal no. FP/UP/ROAD/18170/2020. Under the proposal, permission for felling of 439 trees was granted. As observed by the Joint Committee Report dated 24.09.2024, para 1.5 (*kindly refer to judicial pages 07–08*), apart from the permitted 439 trees, an additional 6 trees have been felled by the NHAI without requisite permission.

A copy of letter dated 07.11.2025 and the online proposal are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-3***.

ii. That, in para 7 of affidavit dated 14.12.2024 (*kindly refer to judicial page no. 295*), it had been submitted that felling of extra 6 trees was an inadvertent mistake made out due to technical mistake in the enumeration exercise done jointly by NHAI and Forest Staff. That, in this regard it is further submitted that the deponent, vide letter dated 02.06.2025 has taken appropriate departmental action against the concerned Forest Staff. Further, the Chief Conservator of Forests vide letter no. 428/11C-FP/UP/ROAD/118170/2020 dated 01.08.2025 has written to the

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 10912/15
District AGRA
Valid upto
27/01/
GOVERNMENT OF INDIA

435/2025

appropriate authorities for a revised permission for the felling of additional 6 trees.

Copies of letters dated 02.06.2025 and 01.08.2025 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-4***.

iii. That, vide the aforementioned letter dated 07.11.2025 it has further been informed that, with respect to compensatory afforestation, a total of 9,167 saplings are to be planted in the Shiwalik Forest Division. The said plantation activities are proposed to be undertaken during the year 2026.

10. **Meerut and Shamli Divisions**

i. That, as previously stated in paras 8 and 9 of affidavit dated 14.12.2024 (*kindly refer to judicial pages 296 and 297*), the issues raised in the present matter do not pertain to Meerut and Shamli Divisions.

11. **Saharanpur and Shiwalik Divisions**

i. That, vide Letter No. 2282/14-(OA 686/2024/NGT) dated 07.11.2025, the Divisional Forest Officer, Shivalik Forest Division has informed that a total of 117.9064 hectares of forest land from Saharanpur and Shiwalik divisions has been diverted to the NHAI through two online proposals number FP/UP/ROAD/177752/2016 and FP/UP/ROAD/ 45282/2020.

A copy of letter dated 07.11.2025 and the two online proposals is annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-5***.

435/2025

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 10942/15
District AGRA
Valid up to 27/01/2030
GOVERNMENT OF INDIA

10/11/2025

ii. That, vide the two above-mentioned proposals, permission for felling of total 13,198 trees were granted. However, vide the letter dated 07.11.2025, it has also been informed that as against the permission for 13,198 trees, felling of 11,983 trees has been done by NHAI.

iii. That, vide the aforementioned letter dated 07.11.2025, it has further been informed that, with respect to compensatory afforestation, a total of 2,09,726 saplings were to be planted in the Shiwalik Forest Division, and 1,04,945 saplings were to be planted in Social Forestry Division, Jalon which have already been done.

Copies of photographs of compensatory afforestation are annexed herewith and marked as ***Annexure-6***.

12. That, it is most respectfully submitted that the responsibility for undertaking afforestation along both sides of the Expressway, in accordance with the recommendations of the Indian Roads Congress Guidelines as well as the provisions of the National Highways Act, 1956 and the National Highways Authority of India Act, 1988, lies within the purview of the National Highways Authority of India (NHAI), which is the competent authority to carry out the said activity.

13. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

435/2025

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 19/2015
District. AGRA
Valid up to 27/01/2031
GOVERNMENT OF INDIA

10-11-2025

14. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Divisional Director
Social Forestry Division
BAGPAT

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 10 day of November 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

4355/2025

NOTARY
Devi Prasad Pandey
Advocate
R. No. 10942/15
District AGRA
Valid up to 27/01/2030
GOVERNMENT OF INDIA

10-11-2025

ATTESTED
10-11-2025
Devi Prasad Pandey (Advocate)
DISTT. NOTARY
R. No. 10942/2015
Gazetted Officer, Agra

DEPONENT

Divisional Director
Social Forestry Division
BAGPAT

PRIORITY

ANNEXURE-1

UPFD-CCFCONGT/386/2025-CCFCRTOF-UPFD

I/335230/2025

मा0 एन0जी0टी0 नियत तिथि 11.11.2025/महत्वपूर्ण/ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक–को0के0 1160/6ई–2 (एन0जी0टी0), दिनांक, लखनऊ, नवम्बर, 07, 2025.

सेवा में,

वन संरक्षक, (नोडल अधिकारी),
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय–मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–686/2024 (आई0ए0 सं0–644/2025) गिरधारी लाल बनाम गवर्मेंट आफ एन0सी0टी0 आफ दिल्ली व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ– 1–शासकीय पत्रांक–2365/81–2–2024 दिनांक 26.11.2024
2–इस कार्यालय का पत्रांक–को0के0 1105/6ई–2(एन0जी0टी0) दिनांक 31.10.2025 (पूर्व में ईमेल से प्रेषित)
3–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025

महोदय,

विषयांकित प्रकरण से संबंधित इस कार्यालय का पत्र दिनांक 31.10.2025 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के समादर में वाद में नामित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ (प्रतिवादी सं0–5) की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने वाले एडिशनल रिस्पांस का आलेख तैयार कराकर, अपने मुख्य वन संरक्षक की सहमति/संस्तुति सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 03.11.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है तथा कोर्टकेस जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में अत्यन्त खेदजनक है।

2– अवगत कराना है कि प्रकरण आपके क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेस वे निर्माण परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन आदि से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि आप अपने क्षेत्रान्तर्गत योजित होने वाले वादों के नोडल अधिकारी है, जिसमें प्रभावी पैरवी आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत आपको अधिकृत किया जाता है कि विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के समादर में, वाद में आबद्ध श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ (प्रतिवादी सं0–5) की ओर से एडिशनल रिस्पांस, मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की नियत तिथि 11.11.2025 से पूर्व दाखिल कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, अतः आपका विशेषध्यानाकर्षण व त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। प्रकरण में कोई शिथिलता न बरती जाए, विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

यह पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–(स्कैन प्रति ई–मेल पर)

भवदीय,

Digitally signed by
Pramod Kumar Gupta
Date: 07-11-2025
19:08:19

PRIORITY

संख्या– 1160 (1)/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ (पर्यवेक्षक अधिकारी) को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के क्रम में उक्तानुसार अपने निर्देशन में समयान्तर्गत समुचित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के क्रम में उक्तानुसार समुचित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वन प्रभाग **(प्रतिवादी सं0–6)**, प्रभागीय वनाधिकारी, गाजियाबाद **(प्रतिवादी सं0–7)** व प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर वन प्रभाग, सहारनपुर **(प्रतिवादी सं0–9)** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षक/नोडल अधिकारी के निर्देशन में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बागपत व अन्य संबंधित कार्यालयों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित कर, वाद में उक्तानुसार समुचित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सा0वा0 प्रभाग, बागपत **(प्रतिवादी सं0–8)** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षक/नोडल अधिकारी के निर्देशन में मा0एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के समादर में वाद में आबद्ध श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली व अन्य संबंधित कार्यालयों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ **(प्रतिवादी सं0–5)** की ओर से एडिशनल रिस्पांस, मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की नियत तिथि 11.11.2025 से पूर्व दाखिल करना सुनिश्चित करते हुए, वाद की प्रभावी पैरवी करें। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता व समयबद्धता अपेक्षित है। प्रकरण में कोई शिथिलता न बरती जाए। विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस,
उ0प्र0, लखनऊ।

Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 2050 /35–3, दिनांक, गाजियाबाद 07 नवम्बर 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी जोन, उ०प्र० मेरठ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–686/2024 (आई0ए0 सं0–644/2025) गिरधारी लाल बनाम गर्वमेंट आफ एन0सी0टी0 आफ दिल्ली व अन्य मे मा0 एन.जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0– को0के0 1105/6ई–2 दिनांक 31.10.2025 तथा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन, उ0प्र0 मेरठ की पत्र सं0–813/35–3 दिनांक 06.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय पत्र के कम मे अवगत कराना है कि गाजियाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना तैयार करके संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

पत्रांकः 2050/35–3 , दिनांकित

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

(1) Total no. of felling trees and (2) permission for felling

S. No.	Proposal Name	Proposal No.	Forest Diversion	Division Name	Proposed Site For CA and Additional CA		Copessatory Afforestation of area	Number of trees approved	Number of tree felled
					Site	Area			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 125 no. trees situated on that land having area 7.6894 Ha for widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur-Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/06/11/2012 /FC/583 Dt. 14-08-2012	7.689	GZB Division	Movikalan Forest Block Bagpat Forest Division	15.378	15.378	125	555
2	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 337 no. trees situated on widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur- Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/08/11/2012 /FC/730 Dt. 10-02-2022						337	
3	Delhi Saharanpur Highway from Delhi/UP Border to EPE junction (from design ch. 14.750 to ch, 31.200) in the state of uttar pradesh on EPC mode under Economic Corridor in phase under Forest Division Ghaziabad	8B/UP/06/219/2022 /FC/549 Dt. 28-09-2022	1.12		Ahmad nagar navada forest Block Ghaziabad Division	2.24	2.24	93	

Scanned with OKEN Scanner

(3) Compensatory afforestation status

	Proposal Name	Proposal No.	Forest Diversion	Division Name	Proposed Site For CA and Additional CA		Copessatory Afforestation of area	Status of compensatory Afforestaation
					Site	Area		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 125 no. trees situated on that land having area 7.6894 Ha for widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur-Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/06/11/2012 /FC/583 Dt. 14-08-2012	7.689	GZB Division	Movikalan Forest Block Bagpat Forest Division	15.378	15.378	This information is required from Bagpat Division.
2	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 337 no. trees situated on widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur- Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/08/11/2012 /FC/730 Dt. 10-02-2022						
3	Delhi Saharanpur Highway from Delhi/UP Border to EPE junction (from design ch. 14.750 to ch, 31.200) in the state of uttar pradesh on EPC mode under Economic Corridor in phase under Forest Division Ghaziabad	8B/UP/06/219/2022 /FC/549 Dt. 28-09-2022	1.12		Ahmad nagar navada forest Block Ghaziabad Division	2.24	2.24	Not Done

4- Status and survival rates of trees already planted. - NIL

Scanned with OKEN Scanner

Timeline of complete compensatory afforestation

	Proposal Name	Proposal No.	Forest Diversion	Division Name	Proposed Site For CA and Additional CA		Copessatory Afforestation of area	Status of compensatory Afforestaation	Remark
					Site	Area			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 125 no. trees situated on that land having area 7.6894 Ha for widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur-Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/06/11/ 2012 /FC/583 Dt. 14-08-2012	7.689	GZB Division	Movikalan Forest Block Bagpat Forest Division	15.378	15.378	This Information is required from Bagpat Division.	C.A. Plantation is Proposed.
2	Regarding permission of non forestry use of protected forest land and felling of 337 no. trees situated on widening/ upgradation work of Delhi-Saharanpur- Yamunotri Road, SH 57, km 10.911 to km 25.000, being executed by UPSHA in Ghaziabad.	8B/UP/08/11/ 2012 /FC/730 Dt. 10-02-2022							
3	Delhi Saharanpur Highway from Delhi/UP Border to EPE junction (from design ch. 14.750 to ch, 31.200) in the state of uttar pradesh on EPC mode under Economic Corridor in phase under Forest Division Ghaziabad	8B/UP/06/219/2022 /FC/549 Dt. 28-09-2022	1.12		Ahmad nagar navada forest Block Ghaziabad Division	2.24	2.24	Not Done	C.A. Plantation is Proposed.

6- No. of trees planted on each side of express way. – NA

7- How many trees are required to be planted on both the side as per rues and recommendations of Indian roads Congress guidelines. - NA

8- Which provision of NHAI ACT and National Highways Act are relevant for plantation of trees along both side of the expressway. - NA

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0552–2326696
वेबसाइट–www.moefrolko.org

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/11/2012/एफ.सी./1803

दिनाँक: 14.08.2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
वन अनुभाग–2, 6वां तल बापू भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद में उपशा द्वारा किये जा रहे दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग एस0एच0–57 किमी0 10.911 से 25.000 तक चौड़ीकरण/उच्चीकरण हेतु 7.6894 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थिति 125 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 216/11सी–गाजियाबाद, दिनांक– 03.08.2012

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 204/14–2–2012, लखनऊ दिनॉक 31.01.2012 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत् प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 19.06.2012 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद गाजियाबाद में उपशा द्वारा किये जा रहे दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग एस0एच0–57 किमी0 10.911 से 25.000 तक चौड़ीकरण/उच्चीकरण हेतु 7.6894 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 125 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात 15.378 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा एवं वृक्षारोपण एक या दो खण्डों में ही किया जाएगा।
3.
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उनके व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर शहर को छोड़ते हुए 2–3 पंक्ति वृक्षों एवं केन्द्रीय विभाजक पट्टी में झाड़ीदार वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव 06 वर्षो तक किया जायेगा एवं इसकी अनुपालना की जिम्मेदारी एन0एच0आई0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु वन संरक्षक, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित वृक्षारोपण योजना का कियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में समयबद्ध कार्यकम के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये ओदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जायेगी।

13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण किया जाएगा और वन पदार्थ की विधिवत् बिकी से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/ राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर एक आधुनिक पौधशाला (नर्सरी) की स्थापना वन विभाग की देख–रेख में 1 वर्ष के भीतर की जाएगी एवं वित्तीय संकट से बचने के लिए प्रतिवर्ष नर्सरी से किसानों को पौधे (जैसे की शीशम, आवला, गमार आदि) का विक्रय करके धनराशि अर्जित की जाएगी जो नर्सरी की देख–भाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एन0एच0ए0आई0 एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष उत्पादन नर्सरी से प्राप्त पौधों के उत्पादन एवं उपयोग पर संयुक्त रिर्पोट क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित की जाएगी।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, आरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
6. आदेश पत्रावली ।

(वाई0 के0 सिंह चौहान) 10/08/2012
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

960
22-1
18/8/12

गाजियाबाद

16/7/12

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

पत्र संख्या–8बी/यू.पी./08/11/2012/एफ.सी./730

दिनांक 10.02.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद गाजियाबाद में दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग (एन०एच० 709बी) चैनेज 10.911 से चैनेज 25.00 तक (7.6894 हे०) वनभूमि मार्ग के दोनों ओर उपशा से भा०रा०रा०प्रा० को स्थानान्तरित किए गए वनभूमि पर किमी० 20.200 से किमी० 25.000 तक 125 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में अतिरिक्त 337 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–2386/81-2-2021-204/2012 लखनऊ दिनांक–06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत बाधक अतिरिक्त 337 वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार से मांगी गई है। पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2012 द्वारा कुल 7.6894 हे० वनभूमि को गैरवानिकी प्रयोग एवं 125 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

प्रकरण को दिनांक–28.01.2022 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 62.6-UP) शामिल किया गया था, जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण में अतिरिक्त 337 वृक्षों के पातन की अनुमति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई थी।

अतः केन्द्र सरकार जनपद गाजियाबाद में दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग (एन०एच० 709बी) चैनेज 10.911 से चैनेज 25.00 तक (7.6894 हे०) वनभूमि मार्ग के दोनों ओर उपशा से भा०रा०रा०प्रा० को स्थानान्तरित किए गए वनभूमि पर किमी० 20.200 से किमी० 25.000 तक 125 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में अतिरिक्त 337 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रदान करती है–

1. Plantation of 10 times of number of trees proposed to be felled shall be done as per CA scheme prepared by concerned DFO and cost for the same shall be deposited in CAMPA fund. CA scheme and other related documents along with site suitability certificate and CAMPA confirmation need to be provided.
2. CAMPA confirmation with respect to deposition of transfer fees needs to be provided.
3. Compliance status of conditions imposed in earlier approval dated 14.08.2012 needs to be provided.

TC पूर्व में जारी विधिवत स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Urgent
DM
ccf nodal
11/02/22
14.2.22
DFO GZB
14/02/2022

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग उ०प्र०, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, गाजियाबाद।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

सामाजिक वानिकी प्रभाग
7855
141
दिनांक 14/2/22
गाजियाबाद

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक–2353/11सी– दिनांक, लखनऊ, फरवरी 11, 2022

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 1718 /22–1, दिनांक, गाजियाबाद 02 नवम्बर 2022।

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उ0प्र0, वन निगम, पॉकेट–बी0–267
सैक्टर–1, शताब्दीनगर, मेरठ। 250103

विषयः– Delhi Saharanpur Highway From Delhi/UP Border to EPC Junction (from design Ch. 14.750 to Ch. 31.200) in the state of uttar Pradesh on EPC Mode under Economic Coridor in Phase under Forest Division Ghaziabad 1.12 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

इस वन प्रभाग की गाजियाबाद रेंज के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में Delhi Saharanpur Highway From Delhi/UP Border to EPC Junction (from design Ch. 14.750 to Ch. 31.200) in the state of uttar Pradesh on EPC Mode under Economic Coridor in Phase under Forest Division Ghaziabad 1.12 में बाधक 93 विभिन्न प्रजाति के वृक्षो का छपान कर पातन हेतु लाट का आंवटन upforestcorporation.in वेबसाईट पर साफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड कर तैयार प्रिन्टेड विक्रय सूची/छपान सूची प्रेषित की जा रही है। आपको यह भी अवगत कराना है कि उक्त वृक्ष भारत सरकार की प्राथमिकता से सम्बन्धित परियोजना में बाधक है। अतः उक्त आवंटित लाट का पातन शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	लाट सं0	रेंज का नाम	वृक्षों की सं0	स्थल का नाम
1	2	3	4	5
1	1/2022–23	गाजियाबाद	93	Delhi Saharanpur Highway From Delhi/UP Border to EPC Junction (from design Ch. 14.750 to Ch. 31.200) in the state of uttar Pradesh on EPC Mode under Economic Coridor

उक्त लाटों का पातन की अनुमति भी निम्न शर्तो के अधीन दी जाती हैः–

1. आवंटित लाटों के अतिरिक्त कोई भी अवैध पातन नहीं किया जायेगा।
2. आवंटित की गई लाटों का पातन जड़ सहित किया जायेगा।
3. आवंटित लाटों में पातन कार्य शासनादेश सं0–2016/चौदह–3–2002–5/92, दिनांक 07.10.2002 में निहित की गई समय सीमा के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
4. लाट में कार्य करने से पूर्व बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
5. लाट में कटान कर निकासी का कार्य सम्बन्धित सैक्शन अधिकारी की उपस्थिति में करना होगा।
6. लाट में निकासी का कार्य वन विभाग के निकासी घन से किया जायेगा।
7. लाट में कटान से होने वाली किसी भी क्षति के लिये वन निगम ही उत्तरदायी होगा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजियाबाद।

पत्रांक :1718/ 2–22 दिनांकित

1–प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–प्रतिलिपिः–जिला अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3–क्षेत्रीय वन अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पातन के समय लाट में निरीक्षण करते रहें तथा अवैध कटान एवं लाट रजिस्टर में वन निगम के इकाई अधिकारी से तिथि सहित हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करा लें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

 ANNEXURE-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग,बागपत ।

पत्रांक 749 /35–3,दिनांक,बागपत, 07.11.2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–686/2024 गिरधारी लाल बनाम गर्वमेंट ऑफ एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 में पैरवी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–को0के0 1105/6ई–2 (एन0जी0टी0)दिनांक 31.10.2025 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन, उ0प्र0 मेरठ की पत्र सं0– 813/35–3 दिनांक 06.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि बागपत वन प्रभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना तैयार करके संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

पत्रांक 749 / दिनांकित

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

OA No. 686of 2024, Pt. Girdharilal vs Govt. of NCT of Delhi before the Hon'ble NGT, New Delhi- reg

(1)Total no. of felling trees and (2) permission for felling

S.No	Proposal Name	Proposal No	Forest Diversion	Division Name	Number of trees approved	Number of trees Felled
1	2	3	4	5	6	7
1	Development of six line National Highway From the junction of Eastern peripheral Expressway of Khekra to Saharanpur bypass at Lalitpur village from 0.000 to km. 118.533 of Delhi to Dehradun Economic Corridor under Bharatmala Pariiyojana Package-1 (km0 +000 to 27+000) 4.1671 hac.	FP/UP/Road/118170/2020	4.1671	baghpat Forset Division	439	445
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मेरठ वृत्त, मेरठ के पत्रांक 250/14–1 दिनांक 22.07.2025 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 428/11सी– Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020दिनांक 01-08-2025 द्वारा उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीयकार्यालय(मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ को 439 वृक्षों के अतिरिक्त 06 अन्य वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु भेजा गया है।						

3- Compensatory afforestation status,

2	Next Year (2026) proposed	
	i)- Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020 (हस्तान्तरित भूमि 4.1671 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण :– प्रस्ताव बागपत वन प्रभाग, से सम्बन्धित है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत अवनत वन भूमि चिन्हित है।	8.3342 ha. @1100=9167 sapling plantation to be proposed in APO 2025-26

(4.) Status and survival rates of trees already planted and (5.) geo tagged photographs of trees planted of each district- Nil

5-Status and survival rates of trees already planted- Nil

6–Timeline of complete compensatory afforestation –

Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020 (हस्तान्तरित भूमि 4.1671 हे0) से सम्बन्धित प्रस्ताव **बागपत वन प्रभाग से सम्बन्धित है** जिसके सापेक्ष, शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत (बादशाहीबाग 1बी मगनपुर बीट, बडकला रेंज) 8.3342 हे0 अवनत वन भूमि चिन्हित की गई,है। उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान उ0प्र0 कैम्पा की वार्षिक प्रचालन योजना वर्ष 2025–26 में किया गया है, **वर्षाकाल 2026 में उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।**

7- No. of trees planted on each side of express way. –N/A

8- How many trees are required to be planted on both the side as per rues and recommendations of Indian roads Congress guidelines :- N/A

9- Which provision of NHAI ACT and National Highways Act are relevant for plantation of trees along both side of the expressway - N/A

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0–8बी / यू.पी. / 06 / 193 / 2021 / एफ.सी. | 561 | दिनॉक: 03.12.2021

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Road/118170/2020

विषय: **Development of Six line National Highway From the junction of Eastern peripheral Expressway of Khekra to Saharanpur bypass at Latifpur village from 0.000 to km. 118.533 of Delhi to Dehradun Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna, Package-1 (km. 0+000 to 27+000) 4.1671 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 439 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–1561 / 11–सी–FP/UP/Road/118170/2020, लखनऊ, दिनांक 18.11.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–164 / 11–सी–FP/UP/Road/118170/2020, दिनांक–14.07.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार Development of Six line National Highway From the junction of Eastern peripheral Expressway of Khekra to Saharanpur bypass at Latifpur village from 0.000 to km. 118.533 of Delhi to Dehradun Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna, Package-1 (km. 0+000 to 27+000) 4.1671 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 439 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 8.3342 ha double degraded forest land in Badshahibagh Van Block, Compartment No. 1b, Barkala Range, Shivalik Forest Division, Saharanpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.1671 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
9. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
12. No labour camp shall be established on the forest land.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
19. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. DFO should submit a 'No Violation' certification while submitting compliance.
22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
23. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in/)*.
24. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/*

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :–

1. अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
5. परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0–बागपत।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

03.12.2021

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

भारत सरकार
पर्यावरण.वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0–8बी / यू.पी. / 06 / 193 / 2021 / एफ.सी. /114 दिनाँक: 13.06.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Road/118170/2020

विषय: **Development of Six line National Highway From the junction of Eastern peripheral Expressway of Khekra to Saharanpur bypass at Latifpur village from 0.000 to km. 118.533 of Delhi to Dehradun Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna, Package-1 (km. 0+000 to 27+000) 4.1671 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 439 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भ: **मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–3250 / 11–सी–FP/UP/Road/118170/2020, लखनऊ, दिनांक – 19.05.2022.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–164 / 11–सी–FP/UP/Road/118170/2020, लखनऊ, दिनांक–14.07.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–03.12.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार Development of Six line National Highway From the junction of Eastern peripheral Expressway of Khekra to Saharanpur bypass at Latifpur village from 0.000 to km. 118.533 of Delhi to Dehradun Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna, Package-1 (km. 0+000 to 27+000) 4.1671 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 439 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 8.3342 ha. double degraded forest land in Badshahibagh Van Block, Compartment No. 1b, Barkala Range, Shivalik Forest Division, Saharanpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

5. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

6. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.

7. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

8. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

9. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986. if applicable.

10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

11. No labour camp shall be established on the forest land.

12. Sufficient firewood. preferably the alternate fuel. shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

14. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

15. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. whichever is less.

16. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

17. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. department or person without prior approval of Govt. of India.

18. The KML file of the area to be diverted. the CA areas. the proposed SMC work. the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

19. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders. provisions. rules. regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.

20. Project Completion Report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.

21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

22. Any other condition that the Ministry of Environment. Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1. अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
5. परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0–बागपत।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

12.06.2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

 ANNEXURE-4

रजिस्ट्री

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
वनादेश सं0– 14 / 2–1,दिनांक,बागपत, 02.06. 2025।

सेवा में,

श्री आशु चौधरी,
वन दरोगा,
बुलन्दशहर।

विषयः– **कठोर चेतावनी।**

इस कार्यालय के पत्र सं0–1114/14–1 दिनांक 11.01.2022 के कम में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे खेकडा से सहारनपुर चैनल 0.000 से 118.533 के अन्तर्गत 439 वृक्षों के छपान हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी बागपत को निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वनाधिकारी, बागपत के पत्रांक 05/22–1 दिनांक 12.07.2022 एवं 29/22–1 दिनांक 20.07.2022 द्वारा कार्यालय में उक्त सम्बन्धी 445 वृक्षों की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसमें ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे खेकडा से सहारनपुर चैनल 0.000 से 118.533 के अन्तर्गत 439 वृक्षों के अतिरिक्त 445 वृक्षों का छपान पाया गया। सम्बन्धित छपान आपके द्वारा पूर्व में कार्यरत बागपत सेक्शन के अन्तर्गत किया गया था। जिसके कम में इस कार्यालय की पत्र सं0–831/22–1 दिनांक 26.11.2024 एवं 1799/35–3 दिनांक 22.04.2025 द्वारा आपसे अतिरिक्त 06 अन्य वृक्षों के छपान के पश्चात् पातन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर के पत्रांक 4270/2–1 दिनांक 05.05.2025 द्वारा आपका स्पष्टीकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। जिसका भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त असंतोषजनक पाया गया जोकि सरकारी कर्मचारी अनुशासन हीनता नियमावली 1956 के अधीन है।

उक्त स्पष्टीकरण के अंसतोषजनक पाये जाने के कारण आपको कठोर चेतावनी देते हुए सचेत किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पायें साथ ही लघु दण्ड के रूप में एक वर्ष की वेतन वृद्धि अस्थाई रूप से रोके जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

पत्रांक 2071/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप श्री पत्र की एक प्राप्ति श्री आशु चौधरी वन दरोगा को प्राप्त करते हुए कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः– प्रभारी अधिष्ठान शाखा, बुलन्दशहर वन प्रभाग, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– गार्ड फाईल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 428 /11सी–FP/UP/ROAD/118170/2020, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 01 ,2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय : Development of six line National Highway from the junction for Eastern Peripheral Expressway of Khekra to Saharnpur bypass at Lalitpur village from 0.000 to km 118.533 of Delhi to Dehardun Economic Corridor under Bharatmal Poriyojna, Package- 1 (km 0+000 to 27+000) 4.1671 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 439 वृक्षों के पातन के अतिरिक्त 06 अन्य वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ का पत्रांक–250/14–1, दिनांक 22.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.07.2025 द्वारा अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में 439 वृक्षों की अनुमति दी गयी थी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत द्वारा कार्यानुमति जारी की गयी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बागपत द्वारा 439 वृक्षों के स्थान पर 445 वृक्षों का पातन किया गया था।

उक्त प्रकरण में पातन किये गये अतिरिक्त 06 वृक्षों की सूची सहित अभिलेख संलग्न कर इस कार्यालय में संशोधित अनुमति निर्गत करने हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित किये गये अभिलेखों की संलग्नक सहित एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण संशोधित अनुमति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

01.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 428/11–सी FP/UP/ROAD/118170/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ जोन, मेरठ।
2– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
4– परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0–बागपत।

01.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 428 /11–सी FP/UP/ROAD/118170/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

01.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक 2282/14–1(OA 686/2024/ NGT) दिनांक सहारनपुर 7/11/.2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 686/2024(आई0ए0 संख्या 644/2025) गिरधारी लाल बनाम गवर्मेंट आफ एन0सी0टी0 आफ दिल्ली व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 तथा मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक को0के0 1105/6ई–2(NGT) दिनांक 31.10.2025

महोदय,

उक्त विषयक एवं संदर्भित कम में शिवालिक वन प्रभग से सम्बन्धित विन्दुवार सूचना संलग्न है, उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/17752/2016, शिवालिक वन प्रभाग एवं सा0वा0 प्रभाग सहारनपुर से सम्बन्धित संयुक्त प्रस्ताव है, जिसमें कुल हस्तान्तरित भूमि 70.201हे0 (शिवालिक वन प्रभाग 39.295 हे0 तथा सा0वा0प्रभाग सहारनपुर–30..966हे0) संरक्षित वन भूमि शामिल है, जिसके सापेक्ष 140.565 हे0 (शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत 45.16 हे0, तथा जालौन सा0वा0 प्रभाग, उरई–95.405हे0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया है, जिसके कारण आपके प्रभाग से सम्बन्धित उक्त सूचना को सम्मिलित करते हुये सूचना प्रेषित है।

अतः विषयांकित कम में वांछित सूचना उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(विपुल सिंघल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर

पत्रांकः– 2282/14–1(OA 686/2024/ NGT)उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
2–वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

संलग्नक– उपरोक्तानुसारं

(विपुल सिंघल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर

OA No. 686 of 2024, Pt. Girdharilal vs Govt. of NCT of Delhi before the Hon'ble NGT, New Delhi- reg

सारांश

1	CA done in Shiwalik forest Division.:-	Area	Average Survival Percentage
	(i)- Proposal No- FP/UP/Road/45282/2020 (हस्तान्तरित भूमि 47.7054 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक एवं एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण :–	145.50 ha.	93.66 %
	(ii)-Proposal No . FP/UP/Road /17752/2016 (हस्तान्तरित भूमि 70.201 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण :–	45.16 ha.	82.83 %
	Total	190.66 ha @1100 plant per ha. =209726 sapling.	
	(iii)-जालौन सा0वा0प्रभाग ऊरई के अन्तर्गत 95.405 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया गया	95.405ha.@1100-104945 ha.	83.93 %
2	Next Year (2026) proposed		
	i)- Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020 (हस्तान्तरित भूमि 4.1671 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण :– प्रस्ताव बागपत वन प्रभाग, से सम्बन्धित है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत अवनत वन भूमि चिन्हित है।	8.3342 ha. @1100=9167 sapling	वृक्षारोपण वर्षाकाल 2026 में किया जायेगा।

शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत Online Proposal No . FP/UP/Road/45282/2020 (हस्तान्तरित भूमि 47.7054 हे0) के सापेक्ष प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 145.50 हे0 (क्षतिपूरक / एडीशनल) क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया गया है तथा Online Proposal No . FP/UP/Road/17752/2016 (शिवालिक वन प्रभाग एवं सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर) के सापेक्ष 45.16 ha. क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कुल 190.66 हे0 क्षतिपूरक / एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया गया है जिसमें 209726 पौधों का रोपण किया गया है, जिसकी औसत सफलता प्रतिशत 88.24 प्रतिशत है। उक्त दोनो प्रस्तावों में 13198 वृक्षों का पातन प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष 11983 वृक्षों का ही पातन किया गया। उक्त ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/17752/2016 के सापेक्ष 95.405ha क्षतिपूरक वृक्षारोपण जालौन सा0वा0 प्रभाग के अन्तर्गत किया गया जिसमें 104945 पौधों का रोपण किया गया है।

इस प्रकार उक्त कम में कुल 13198 वृक्षों के पातन के सापेक्ष 209726+104945=314671 पौधों का रोपण किया गया है, जिसकी औसत सफलता प्रतिशत 86.08 प्रतिशत है।

(1) Total no. of felling trees and (2) permission for felling

S.No	Proposal Name	Proposal No	Forest Diversion	Division Name	Number of trees approved	Number of trees Felled
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72ए (गणेशपुर से डाट काली मन्दिर तक) कि0मी0 16.00 से 33.00 (नया चेनेज 0.000 से 16.160 तक) सडक चौडीकरण एवं एलीवेटिड रोड निर्माण हेतु 47.7054 हे0 वन भूमि व संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तंत गैर वानिक प्रयोग एवं 8588 बाधक वृक्षों एवं पौधो (5354 वृक्षों एवं 3234 पौधा के पातन की अनुमति	FP/UP/ ROAD/45282/ 2020	47.7054	Shiwalik Forset Division, Saharanpur	5354	4997
2	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर में छुटमलपुर गणेशपुर भाग (एन0एच0 72ए) कि0मी0 4.10 से 16.00 तक रूडकी–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0 73 कि0मी0 1 – कि0मी0 22.00 से 23.00 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षो के पातन व सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर मे कि0मी0 28.300 से 70.00 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन, कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगा एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति। FP/UP/Road/17752/2016	FP/UP/Road/ 17752/2016	70.201	Social Forest Division, Saharanpur and Shiwalik forest division, Saharanpur	4436 (Shiwalik Division) 3408 (Social Forestry Division, Sharanpur)	3578 (Shiwalik Division) 3408 (Social Forestry Division, Sharanpur)

3- Compensatory afforestation status,

1	CA done in Shiwalik forest Division.:-	
	(i)- Proposal No- FP/UP/Road/45282/2020 (हस्तान्तरित भूमि 47.7054 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक एवं एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण :–	145.50 ha.
	(ii)-Proposal No . FP/UP/Road /17752/2016 (हस्तान्तरित भूमि 70.201 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण :–	45.16 ha.
	Total	190.66 ha @1100 plant per ha. =209726 saplng.
2	Next Year (2026) proposed	
	i)- Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020 (हस्तान्तरित भूमि 4.1671 हे0) के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण :– प्रस्ताव बागपत वन प्रभाग, से सम्बन्धित है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत अवनत वन भूमि चिन्हित है।	8.3342 ha. @1100=9167 sapling

(4.) Status and survival rates of trees already planted and (5.) geo tagged photographs of trees planted of each district

S. No	Proposal Name	Proposal No	Forest Diversion	Division Name	Proposed Site For CA and Additional CA			Copensatory Afforestation (CA &ACA) (area in ha.)
1	2	3	4	5	6			8
					Site	Area	Survival Percentage	
1	जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72ए (गणेशपुर से डाट काली मन्दिर तक) कि0मी0 16.00 से 33.00 (नया चेनेज 0.000 से 16.160 तक) सडक चौडीकरण एवं एलीवेटिड रोड निर्माण हेतु 47.7054 हे0 वन भूमि व संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तत गैर वानिक प्रयोग एवं 8588 बाधक वृक्षों एवं पौधो (5354 वृक्षो एवं 3234 पौधा के पातन की अनुमति	FP/UP/ROAD/45282/2020	47.7054	Shiwalik Forset Division, Saharanpur	बुड्ढावन कक्ष–1वॉ (पतिया बीट) (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.00	86.04	145.50
					कालूवाला कक्ष–1वॉ भाग–1 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.00	86.06	
					कालूवाला कक्ष–1वॉ भाग–2 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	7.00	86.06	
					शाहजहापुर कक्ष–1वॉ भाग–1 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	15.00	84.05	
					शाहजहापुर कक्ष–1वॉ भाग–2 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	5.00	86.03	
					बुड्ढावन 1ए (मा0 हरित अधिकरण (NGT) का आदेश दिनांक 13.12.2021 के अनुपालन में एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण	10	97.89	
					शाहजहापुर 3वॉ, भाग–1 (वन्यजीव अनुमति के सापेक्ष एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	20	95.05	
					शाहजहापुर 3वॉ, भाग–2 (वन्यजीव अनुमति के सापेक्ष एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10	95.07	
					कालूवाला 2वॉ, आम सोत (वन्यजीव अनुमति के सापेक्ष एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10	95.03	
					बादशाहीबाग 1वॉ (बांसावाला मगनपुरा बीट) (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.5	100	
					शाहजहापुर 3वॉ (ऊधाबाडा) भाग–1 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.00	100	
					कालूवाला कक्ष–2वॉ (भाभरिया सोत) भाग–1 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.00	100	
					कालूवाला कक्ष–2वॉ (भाभरिया सोत) भाग–2 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	8.00	100	
					शाहजहापुर 3वॉ (डावोवाला) भाग–2 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)	10.00	100	

					योग	145.50		
2	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर में छुटमलपुर गणेशपुर भाग (एन0एच0 72ए) कि0मी0 4.10 से 16.00 तक रूडकी–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0 73 कि0मी0 1 – कि0मी0 22.00 से 23.00 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षो के पातन व सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर मे कि0मी0 28.300 से 70.00 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन, कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगा एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति। FP/UP/Road/17752/2016	FP/UP/Road/17752/2016	70.201	Social Forest Division, Saharanpur and Shiwalik forest division, Saharanpur	Site	Area	Survival Percentage	
					ढांगगटीय वन ब्लाक, जालौन सा0वा0प्रभाग ऊरई	25.405	84	140.565
					गऊ वन ब्लाक, जलौन सा0वा0प्रभाग ऊरई	20.0	83.3	
					गोपालपालपुरा प्रथम वन ब्लाक, जलौन सा0वा0प्रभाग ऊरई	50.0	84.5	
					योग जलौन सा0वा0प्रभाग ऊरई	95.405		
					शाकुम्भरी रेंज, बड़कला 2बी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	17.60	92.00	
					शाकुम्भरी रेंज, सहन्सरा 1 शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	2.8	92.10	
					मोहण्ड रेंज, कालूवाला 2बी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	2.29	78.28	
					मोहण्ड रेंज, खजनावर 2बी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	6.23	78.14	
					मोहण्ड रेंज, शाहजहाँपुर 2बी 1, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	11.84	78.24	
					मोहण्ड रेंज, शाहजहाँपुर 1बी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	4.6	78.22	
					योग	45.16		
					कुल योग	140.565		

6– Timeline of complete compensatory afforestation –

(i)- Proposal No- FP/UP/Road/45282/2020 (हस्तान्तरित भूमि 47.7054 हे0) के सापेक्ष – 145.50 हे0 (क्षतिपूरक एवं एडीशनल क्षतिपूरक वृक्षारोपण) शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है।

(ii)-Proposal No . FP/UP/Road /17752/2016 (हस्तान्तरित भूमि 70.201 हे0) के सापेक्ष शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत– 45.16 हे0. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं जलौन सा0वा0प्रभाग ऊरई के अन्तर्गत 95.405 हे0 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)– कुल 140.565 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षारोपण पूर्ण कर लिया गया है।

(ii)- i)- Proposal No- FP/UP/Road/118170/2020 (हस्तान्तरित भूमि 4.1671 हे0) से सम्बन्धित प्रस्ताव बागपत वन प्रभाग से सम्बन्धित है जिसके सापेक्ष, शिवालिक वन प्रभाग के अन्तर्गत (बादशाहीबाग 1बी नगनपुर बीट, बडकला रेंज) 8.3342 हे0 अवनत वन भूमि चिन्हित की गई, है। उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपन का प्राविधान उ0प्र0 कैम्पा की वार्षिक प्रचालन योजना वर्ष 2025–26 में किया गया है, वर्षाकाल 2026 में उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपन किया जायेगा।

7- No. of trees planted on each side of express way. – N/A

8- How many trees are required to be planted on both the side as per rues and recommendations of Indian roads Congress guidelines :- N/A

9- Which provision of NHAI ACT and National Highways Act are relevant for plantation of trees along both side of the expressway - N/A

vipul
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/48/2017/एफ.सी. /663. दिनांक: 04/12/2017

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/17752/2016)

विषयः शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 09.11.2017 की कार्रवाई

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–37/14–2–2017–800(32)/2017, दिनांक–31.07.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक– 09.11.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक मे शामिल किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति (कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना चाहते हुए) प्रदान की गयी थी। बैठक में प्रकरण से संबंधित वांछित सूचना की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र–NHAI/PIU-DDN/33012/Forest Issues (SHR)/NH-73/2007/13806, दिनांक– 21.11.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतः केन्द्र सरकार शिवालिक वन प्रभाग मे छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन (1232 पौधों एवं 3204 वृक्षों के पातन) व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन (1232 पौधों के पातन एवं 6612 वृक्षों के पातन की) की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 140.402 हे0 (70.201X2= 140.402 ha.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

4.12.17

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरानत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एव नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेंगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, शिवालिक एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर, उ0 प्र0।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 देहरादून, मकान नं0- 5, लेन नं0-4, तेगबहादुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली

4.12.17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/160/2020/एफ.सी. /229

दिनॉक: 20.07.2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/45282/2020

विषयः जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–72ए, (गणेशपुर से डाट काली मन्दिर तक) किमी0 16.00 से 33.000 (नया चैनेज 0.000 से 16.160 तक) सड़क चौड़ीकरण एवं एलीवेटिड रोड निर्माण हेतु 47.7054 हे0 वनभूमि (5.1893 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 42.5161 हे0 आरक्षित वनभूमि) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोग एवं 8588 बाधक वृक्षों एवं पौधों (5354 वृक्षों एवं 3234 पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–814/81–2–2021–800(120)/2020, लखनऊ, दिनांक–24.06.2021.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–113/81–2–2020–800(120)/2020, दिनांक – 23.11.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–23.12.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–72ए, (गणेशपुर से डाट काली मन्दिर तक) किमी0 16.00 से 33.000 (नया चैनेज 0.000 से 16.160 तक) सड़क चौड़ीकरण एवं एलीवेटिड रोड निर्माण हेतु 47.7054 हे0 वनभूमि (5.1893 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 42.5161 हे0 आरक्षित वनभूमि) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोग एवं 8588 बाधक वृक्षों एवं पौधों (5354 वृक्षों एवं 3234 पौधों) के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 95.50 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

Sl.No.	Name of Forest Division	CA proposed in Area (Ha.)	Details of CA
1	Mohanda Range Saharanpur/Shivalik FD	10 ha. 10 ha. 10 ha. 7 ha. 15 ha. 5 ha. 10.00	Buddhawan 1B FB Kaluwala FB IB Par-I Kaluwala FB IB Par-II Shahajahanpur 1B-part-I Shahajahanpur 1B-part-II Kaluwal comp.3B Shahajahanpur 3B
2	Badkala- Range Saharanpur/Shivalik FD	18 ha. 10 ha.	Khairowali 2B(Gularia Soat)Part-I Khairowali 2B(Gularia Soat)Part-II
Total		95.50 ha.	

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

4. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

5. The user agency shall undertake plantation on both side of the road and median (if available) according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.

6. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

7. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

8. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

10. No labour camp shall be established on the forest land.

11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel

12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

17. A detailed report on translocation shall be sent by the State Forest Department, once the process of translocation is completed.

18. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा) :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0,
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
5. परियोजना निदेशक, रा0रा0प्रा0, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0), देहरादून, म0नं0–5, लेन नं0–4, तेगबहादुर रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

20/7/2024

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

Shiwalik

GPS Map Camera
Google
Inderpur Talara, Uttar Pradesh, India
6pwc+p9p, Inderpur Talara, Uttar Pradesh 247121, India
Lat 30.248488° Long 77.723166°
Friday, 07/11/2025 11:45 AM GMT +05:30

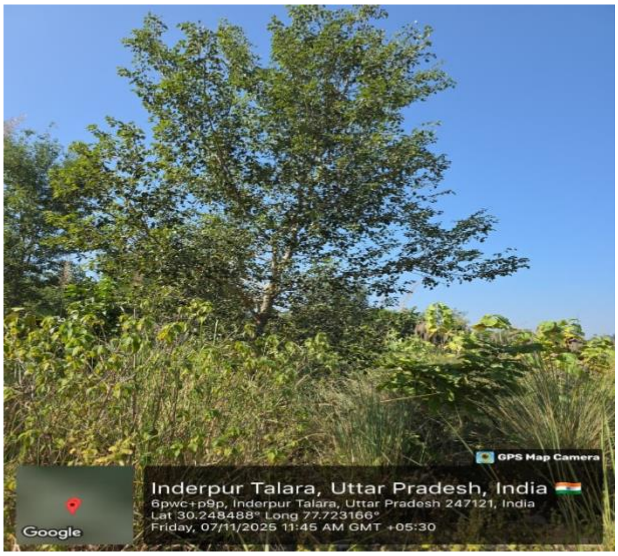
GPS Map Camera
Google
Inderpur Talara, Uttar Pradesh, India
6pwc+p9p, Inderpur Talara, Uttar Pradesh 247121, India
Lat 30.248488° Long 77.723166°
Friday, 07/11/2025 11:45 AM GMT +05:30

Latitude: 30.238139
Longitude: 77.747744
Altitude: 384.17±8.29 m
Accuracy: 8.625 m
Time: 11-07-2025 12:42
Powered by NoteCam

Latitude: 30.238035
Longitude: 77.747599
Elevation: 439.22±15.6 m
Accuracy: 13.19 m
Time: 11-07-2025 12:43
Powered by NoteCam

Latitude: 30.238139
Longitude: 77.747744
Altitude: 384.17±8.29 m
Accuracy: 8.625 m
Time: 11-07-2025 12:42
Powered by NoteCam

Latitude: 30.238083
Longitude: 77.747732
Elevation: 431.9±15.6 m
Accuracy: 132.0 m
Time: 11-07-2025 12:43
Powered by NoteCam

Jalon

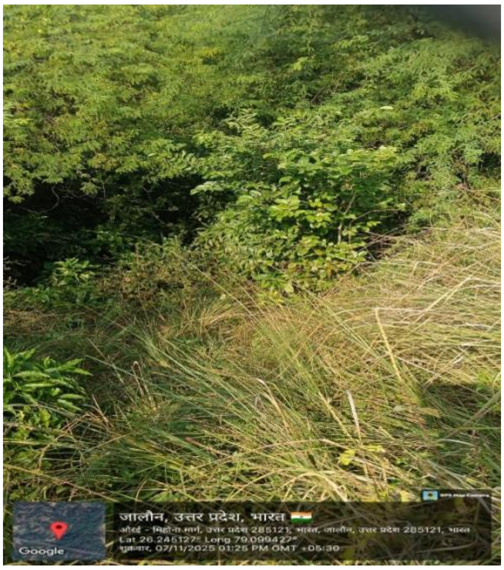
जालौन, उत्तर प्रदेश, भारत
ओरई - मिहोना मार्ग, उत्तर प्रदेश 285121, भारत, जालौन, उत्तर प्रदेश 285121, भारत
Lat 26.245127° Long 79.099427°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:25 PM GMT +05:30

जालौन, उत्तर प्रदेश, भारत
ओरई - मिहोना मार्ग, उत्तर प्रदेश 285121, भारत, जालौन, उत्तर प्रदेश 285121, भारत
Lat 26.245008° Long 79.099208°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:27 PM GMT +05:30

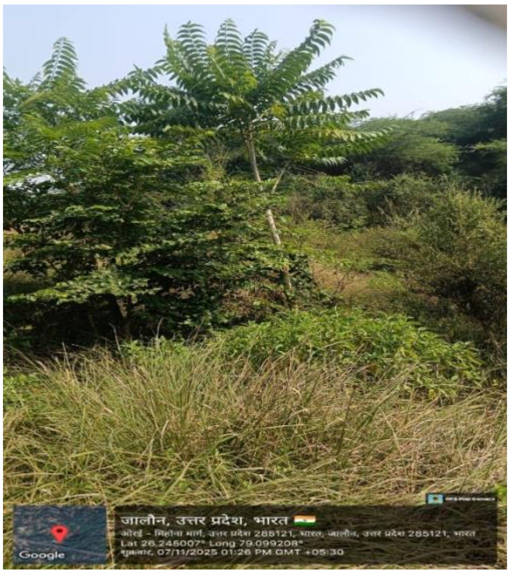
जालौन, उत्तर प्रदेश, भारत
ओरई - मिहोना मार्ग, उत्तर प्रदेश 285121, भारत, जालौन, उत्तर प्रदेश 285121, भारत
Lat 26.245007° Long 79.099208°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:26 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, मऊ, उत्तर प्रदेश , भारत
Lat 26.04108° Long 78.98643°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:25 PM GMT +05:30

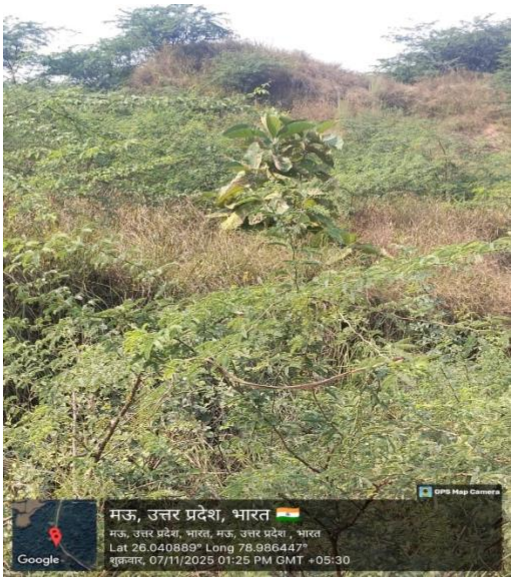
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, मऊ, उत्तर प्रदेश , भारत
Lat 26.040889° Long 78.986447°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:25 PM GMT +05:30

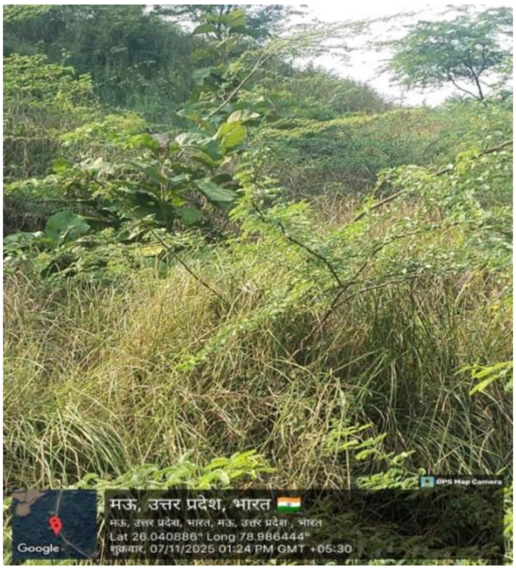
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, मऊ, उत्तर प्रदेश , भारत
Lat 26.040886° Long 78.986444°
शुक्रवार, 07/11/2025 01:24 PM GMT +05:30